



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 मार्च, 1985

चैत्र 4, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 494/सत्ररह-वि-1-1 (क) 14-1985

लखनऊ, 25 मार्च, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 23 मार्च, 1985 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1985 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 15
सन् 1977 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1986" रख दिये जायेंगे।

माना से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 494 (2) /XVII-V-1-1 (KA)-14-1985

Dated Lucknow, March 25, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1985), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 23, 1985:

**THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1985**

[U. P. ACT NO. 2 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha)
Adhiniyam, 1977*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985.

Amendment of
section 2 of U. P.
Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), for the words and figures "31st day of March, 1985", the words and figures "31st day of March, 1986" shall be substituted.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.